'थानवी ने नियमों व मापदंडों को दरकिनार कर मांगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन'

विधायक देवनानी ने कुलपति थानवी की सफाई को निहायत बेबुनियाद बताया, थानवी के बयान पर किया जोरदार पलटवार

जयपुर। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी नैतिकता की दुहाई देकर अपनी सफाई देने में लगे हैं। यदि ऐसी ही नैतिकता थी, तो अयोग्य होकर भी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति का दायित्व क्यों संभाला था। उनकी अयोग्यता और अकादमिक अज्ञानता की वजह से विश्वविद्यालय का शैक्षिणक वातावरण खराब हुआ है और लाखों विद्यार्थियों के शिक्षण को दांव पर लगा दिया, जिससे उनकी प्रगति अवरूद्ध हो गई है।

देवनानी ने कहा कि थानवी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अपनी नैतिकता का हवाला देकर उनके (देवनानी के) बयानों को लेकर सफाई पेश की है, जो कि निहायत बेबुनियाद है। देवनानी ने बताया कि नियमानुसार कोई भी पद विज्ञापित करने से पूर्व उस पर लागू होने वाले आरक्षण और रोस्टर के आलोक में परीक्षण करना आवश्यक होता है। उन पर प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। विभिन्न शैक्षिणक पदों पर विज्ञापन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर रोस्टर कैलेण्डर चस्पा कर उन पर आपत्तियां मांगी गई। इस पर अन्य लोगों के साथ विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने भी आरक्षण प्रावधानों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनकी आपत्तियों को निस्तारित किए बिना ही विज्ञापन जारी कर दिया। स्वयं विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने रोस्टर के इस गड़बड़झाले की शिकायत 17 जनवरी को राज्यपाल से की है। हास्यास्पद बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के समकक्ष दर्शा दिया गया है।

देवनानी ने आरोप लगाया है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय मे जारी शैक्षिणक पदों के विज्ञापन में यूजीसी की अनिवार्य योग्यता को अपनी सुविधानुसार बदल दिया गया है और आरक्षित पदों के रोस्टर के संबंध में स्वयं विवि के संकाय सदस्यों की आपत्तियों को निस्तारित किए बिना ही जल्दबाजी में विज्ञापन जारी किया गया है। सदस्यों ने राज्यपाल को भी पत्र प्रेषित कर संपूर्ण मामले से अवगत कराया है। उनका कहना है कि वर्तमान में जो पदों पर आरक्षण प्रावधान किए गए हैं, उनसे महिलाओं और आरक्षित वर्ग को नुकसान पहुंचा है। देवनानी ने सवाल उठाया है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि ऐसे संवेदनशील मसले की जांच और निस्तारण किए बिना आनन-फानन में विज्ञापन जारी किया गया। इतना ही नहीं, विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक जानकारी 4 दिसंबर, 2021 को वेबसाइट पर दी गई। एक माह से भी कम समय में अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2022 निर्धारित कर दी गई। दो जनवरी को रविवार का राजकीय अवकाश होने के बावजूद भी यह अंतिम तिथि रखी गई, ताकि भ्रम की स्थिति बनी रहे। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि भर्तियों जैसे गंभीर कार्य को कितने मनमाने तरीके से किया गया है। कुलपति का कार्यकाल 8 मार्च को खत्म हो रहा है और पिछले माह दिसम्बर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इससे उनकी जल्दबाजी की मंशा स्पष्ट तौर पर साबित होती है। देवनानी ने कहा कि थानवी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए शैक्षिणक पदों पर विश्वविद्यालय की ओर से जारी न्यूनतम योग्यता को लेकर अनावश्यक और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए यूजीसी मापदण्डों में जो आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उन्हें अपनी सुविधानुसार बदल दिया गया है।

> ■ 'रोस्टर की आपत्ति निस्तारित नहीं और यूजीसी योग्यता बदलकर जारी किया विज्ञापन'

देवनानी ने आरोप लगाया है कि कुलपति थानवी ने अपने विश्वविद्यालय में प्रचलित नियमों का उल्लंघन करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर को डीन बना रखा है।

अपात्र को विश्वविद्यालय का वीसी बनाने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य व्यक्ति को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वी.सी. बनाने पर यू.जी.सी., पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वी.सी. ओम थानवी सहित राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस बिरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पंकज प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर दिए।

जनहित याचिका में कहा गया की यू. जी. सी. के नियमानुसार विश्वविद्यालय में वी. सी. बनने के लिए पी. एच. डी. की डिग्री के साथ ही संबंधित व्यक्ति के पास बतौर प्रोफेसर 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से ओम थानवी को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वी.सी. बनाया गया है, लेकिन ना तो उनके पास पी.एच.डी. की डिग्री है और ना ही उनके पास प्रोफेसर पद का 10 साल का अनुभव है। याचिका में कहा गया है कि ओम थानवी के पास तय योग्यता नहीं होने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से वीसी पद पर नियुक्ति दी गई है। ऐसे में उन्हें तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

संविदाकर्मियों को हटाने पर जवाब तलब

जयपुर। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगे संविदाकर्मियों को हटाने पर एसीएस स्वास्थ्य और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश शिवराज व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से सीएम निशुल्क जांच योजना में रेडियोग्राफर सहित अन्य पदों पर संविदा पर नियुक्त हैं। उन्होंने कोविड महामारी में भी निरंतर काम किया है। इसके बावजूद भी चिकित्सा विभाग उन्हें नियमित नहीं कर रहा है, बल्कि विभाग ने गत दिनों आदेश जारी कर उन्हें पद से हटाने के निर्देश दे दिए। याचिका में कहा गया कि विभाग में रेडियोग्राफर सहित अन्य पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में विभाग उन्हें हटाकर दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्ति देने जा रहा रहा है।

प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या कम होने का क्रम तेज हुआ

राज्य में सोमवार को 6369 नए संक्रमित मिले, इससे पहले रविवार को 10061 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या कम होने का क्रम तेज हो गया है। इस दौरान राज्य में सोमवार को 6369 नए रोगी मिले हैं। हालाकि इस दौरान प्रदेश में इस बीमारी से 23 और लोगों की मौत हुई है। इधर राज्य में जनवरी के महीने में ढाई लाख से अधिक नए संक्रमित मिलने के साथ ही 304 लोगों की मौत हुई है।

प्रदेश में सोमवार को एक ही दिन में 3692 मामले कम आने के साथ ही 6369 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले राज्य में 10061 मामले सामने आए थे। हालाकि आज राज्य में केवल 19418 ही जांचे होने के कारण संक्रमण दर 32.79 फीसदी पर पहुंच गई। इधर राजधानी जयपुर में भी पिछले चौबीस घंटों में 1578 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 616, अलवर में 347, पाली में 339, नागौर में 303, भीलवाड़ा में 232, कोटा में 219, सिरोही में 205, अजमेर में 192, उदयपुर में 186, बांसवाड़ा में 183, जैसलमेर में 180, डूंगरपुर में 173, राजसमंद में 163, झालावाड़ में 152, प्रतापगढ़ में 137, श्रीगंगानगर में 134, झुंझुनूं में 123, बीकानेर में 114, बारां में 100, सवाई माधोपुर में 97, भरतपुर व धौलपुर में 94-94, बाड़मेर में 69, सीकर में 65, दौसा में 62, टोंक में 51, करौली में 47, चित्तौड़गढ़ में 45, बूंदी में 26, चूरू में 21, हनुमानगढ़ में 12 और जालौर में 10 नए संक्रमित मिले है।

वहीं दूसरी ओर राज्य में जनवरी के महीने 2 लाख 50 हजार 194 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 304 लोगों की मौत हुई है। इधर प्रदेश में करोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते पिछले चौबीस घंटे में राज्य में 23 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें जयपुर में 8, पाली में 3, जोधपुर व सीकर में 2-2 तथा अजमेर, बूंदी, चूरू, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, नागौर और टोंक में 1-1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9268 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर प्रदेश में सोमवार को नए संक्रमितों के मुकाबले में करीब दोगुना मरीज ठीक हुए है। इस दौरान 11618 रोगियों के रिकवर होने से एक्टिव केस और घटकर 67 हजार 17 रह गए है। हालाकि इनमें अभी सबसे ज्यादा 16 हजार 739 मामले जयपुर जिले में है। राजधानी जयपुर में सोमवार को 89 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 58 नए रोगी दुर्गापुरा इलाके में मिले है। इसके अलावा मालवीय नगर में 57, दूदू, में 55, जगतपुरा व सांगानेर में 54-54, प्रताप नगर में 53, गोपालपुरा व किरण पथ पर 50-50 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 79 ऐसे संक्रमित है जिन्होंने जांच कराते समय नाम व पता गलत लिखाया था। जिले में इस बीच 3663 मरीज रिकवर हुए हैं।

> ■ राजधानी जयपुर में भी और गिरावट के बाद 1578 नए संक्रमित मिले।
> ■ राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 23 और लोगों की मौत हुई है।
> ■ प्रदेश में जनवरी के महीने में ढाई लाख से अधिक नए संक्रमित मिले, जबकि 304 लोगों की मौत हुई।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
क्रमांकः जविप्रा/उपा./ जोन-6/22/डी-440
सार्वजनिक सूचना दि. 28.01.2022
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल अजीज द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर झोटवाड़ा आर.ओ.बी से प्रभावित भूमि (सर्वे नम्बर 52 टीम नम्बर 02) के बदले भूखण्ड आवंटन हेतु जारी लांटरी दिनांक 23.09.2021 में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी-9 एवं (सर्वे नम्बर 53 टीम नम्बर 02) के बदले आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या बी-136 (कॉर्नर) योजना महात्मा ज्योतिबाफुले का आवंटन पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते है। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नही किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी। **उपायुक्त जोन-6 जविप्रा, जयपुर।**

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 12/2022
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी मिलिन्द चक्रवर्ती पुत्र स्व. श्री मलय चक्रवर्ती जाति ब्राह्मण विवाद स्थान फ्लैट नं. 107, ब्लॉक-8 आईप एन केन्द्रीय विहार विभाग-6 जयपुर विद्याधर नगर जयपुर
मृतक स्व. श्रीमती संगीता चक्रवर्ती की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 22.2.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. संगीता चक्रवर्ती पत्नी स्व. श्री मलय चक्रवर्ती जाति ब्राह्मण विवाद स्थान फ्लैट नं. 107, ब्लॉक-8 टाईप एन केन्द्रीय विहार विभाग-6 जयपुर विद्याधर नगर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष मे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22 माह 2 सन् 2022 को न्यायालय में 10.30 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 24 माह 01 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत **जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय**

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/जोन-2/2022/डी-192 दिनांक-25.01.2022
विज्ञप्ति सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राकेश कृष्ण पारीक पुत्र स्व. श्री जानकी शरण पारीक द्वारा सुभाष नगर, योजना के दुकान संख्या ए-3, की लीजडीड जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन नम्बर 81791 द्वारा निवेदन किया गया है। उक्त दुकान का आवंटन श्री जानकी शरण पारीक पुत्र श्री रामलक्ष्मण के पक्ष में दिनांक 25.01.1975 को जारी किया गया, मूल आवंटी की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.03.2009 मूल आवंटी की पत्नी श्रीमती विद्या पारीक व पुत्री श्री विजय लक्ष्मी तिवाडी की मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमश दिनांक 11.12.2009 व 22.12.2020 की प्रति, श्रीमती जया पारीक पुत्री स्व. श्री जानकी शरण पारीक द्वारा श्री राकेश कृष्ण पारीक पुत्र स्व. श्री जानकी शरण पारीक के पक्ष में निष्पादित रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 27.01.2021 की प्रति आदि प्रतिया प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी के कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205 द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा वाद-मियाद आवेदक के पक्ष मे तौज डैड जारी कर दी जावेगी। वाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। **उपायुक्त, जोन-2**

विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4, स्थान जयपुर जिला जयपुर
गोपाल लाल पूर्विया विरुद्ध **महिपाल चौधरी व अन्य**
वाद बाबत कब्जा प्राप्ति, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 21/19 (67/17)
बनाम महिपाल चौधरी पुत्र सुखाराम जाति जाट स्थान मालियों की ढाणी, नवलगढ जिला झुंझुनू (राज.)
वादी ने आपके विरुद्ध ..... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 07 माह 02 सन् 2022 को दिन में सुबह 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे समयक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 23 माह 11 सन् 2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
प्रस्तुतकार, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर **क्रम-4, जयपुर, जिला जयपुर**

नाम परिवर्तन
I Have Changed My Name From Anu Vasandani To Arti Vasandani W/o Dharmendra Kumar Vasandani For All Purpose-136, Gopi Niwas, Basant Bahar Colony, Gopalpura Mode, Tonk Road, Jaipur.

मैंने अपना नाम शिवराम-शिवराम जाट से बदलकर नया नाम शिवराम चौधरी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-सी-116, संस्कार विहार, अलंकार कॉलेज के पास, सिरसी रोड, जयपुर (राज.)

मैंने मेरा नाम विवाह पश्चात अंजू वरमानी से बदलकर अंजू खन्ना रख लिया है। निवासी 5/25, केसरीचन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर

खोया पाया
न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सिद्धार्थ नगर-एच के भूखंड संख्या 44 की सोसायटी रसीद, आवंटन पत्र और साईट प्लान खो गए है सूचित करें। मोबाइल 9549608749

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 31299 जारी दिनांक 26.02.2010 कहीं गुम हो गया। जो इस समय किसी भी फर्म पर योग्य व्यक्ति के रूप में दर्ज नहीं है मिलने पर उक्त पते पर सूचित करें। रामदेव किशोरपुरा रोड हथोज जयपुर मो. 9784665385

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।